File No. 12/01/2019-Proj

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 05/07/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त (डीसी), नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में 05/07/2022 को हाइब्रिड मोड के माध्यम से पूर्वाह्न 11:30 बजे नोएडा एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान हाइब्रिड मोड के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)
2. श्री सुनील कुमार, अधीक्षक, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्री अनिल कुमार, डीसीआई (DCI), डीआईसी (DIC), नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि।
4. श्री चमन लाल, एडीजी (ADG) (एफटी) अपर डीजीएफटी, सीएलए (CLA) कार्यालय, नई दिल्ली।
5. श्री सुनील कुमार, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
6. श्री दीपक, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा
7. श्रीमती मीनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड, (ii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (iii) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड और (iv) अनुमोदन समिति की सहायता के लिए सत्य विजय वर्मा, एईई, यूपीपीसीबी, नोएडा भी उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) 07/06/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

यह बताया गया कि अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। अनुमोदन समिति ने इसे नोट किया और तदनुसार, 07/06/2022 को हुई समिति बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) इंडस वैली पार्टनर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड में एक नई इकाई की स्थापना।

2.1 श्री एम पी कालिया, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और सुश्री रवनीत कौर, वित्त प्रमुख अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। सुश्री कौर ने बताया कि उनके पास नोएडा एसईजेड (NSEZ) में पहले से ही पांच परिचालन इकाइयां हैं जो सॉफ्टवेयर विकास में हैं।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, सॉफ्टवेयर विकास के लिए एनएसईजेड (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जो उनके आवेदन में पाई गई कमियों के अनुपालन और विदेशी मुद्रा व्यय के विवरण प्रस्तुत करने के अधीन हैं।

(3) सायन मेड प्राइवेट लिमिटेड – एनएसईजेड (NSEZ) में एक नई इकाई की स्थापना।

3.1 श्री विनय शर्मा, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री शर्मा ने बताया कि वे अंतर्गर्भाशयी लेंस (Intraocular lenses), अन्य चिकित्सा यंत्र और उपकरणों का निर्माण करना चाहते हैं जो अभी सीमित संख्या में निर्माताओं द्वारा निर्मित हैं। उन्होंने आगे बताया कि वह लगभग 20 वर्षों से चिकित्सा यंत्र और उपकरणों के निर्माण में थे और लगभग 5 वर्षों से सायन मेड प्राइवेट के माध्यम से नेत्र लेंस निर्माण व्यवसाय में थे।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एलओए (LOA) में सभी उत्पादों के एचएस 2022 नामकरण में 8 अंकों के आईटीसी (ITC) एचएस कोड / विवरण और लंबित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तावित निर्माण गतिविधियों को मंजूरी दे दी। समिति ने आगे निर्देश दिया कि इकाई को अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रस्तावित 8 अंकों के आईटीसी (ITC) एचएस कोड की अलग सूची प्रस्तुत करना होगा। जिन उत्पादों पर व्यापार (Trading) की मांग की गई है, उनकी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने पर, इसे अनुमोदन समिति की अगली बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा।

(4) एडवांस इस्पात (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड- एलओए (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी

4.1 इकाई के निदेशक श्री आशीष अग्रवाल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

4.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और संचालन के अंतिम ब्लॉक में इकाई के प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त की। हालांकि, अमेरिका (US) से निर्यात आदेशों के संकेत के आधार पर, समिति ने इकाई के एलओए (LOA) को 31.10.2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया और इकाई को विदेशी मुद्रा में अपनी जॉब-वर्क गतिविधियों के लिए बिलिंग शुरू करने और सेज़ ऑनलाइन (sezonline) प्रणाली से सभी लेनदेन की प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा समिति ने निर्देश दिया कि एलओए (LOA) की वैधता के आगे नवीनीकरण के संबंध में प्रदर्शन

और निर्णय की निगरानी के लिए अक्टूबर 2022 की बैठक से पहले मामले को अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाए।

(5) प्रोटेम कंप्यूटर – एलओए (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

5.1 श्री मुनीश कुमार, भागीदार, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव के बारे में बताया।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और इकाई के परिचालन के अंतिम ब्लॉक में 2017-18 से शून्य निर्यात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इसके अलावा, इकाई के प्रतिनिधि की प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, समिति ने इकाई के एलओए (LOA) को 31.12.2022 तक बढ़ाने का निर्णय इस शर्त पर दिया कि इकाई नवकरण और नवीनीकरण गतिविधियों का एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18 (4) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन करेगी। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि दिसंबर 2022 की बैठक में एलओए (LOA) की वैधता के और विस्तार के संबंध में प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी और निर्णय लिया जायेगा।

(6) लिंगो इंपेक्स - अधिकृत संचालन के आईटीसी (ITC) एचएस कोड का अद्यतन

6.1 श्री मुनीश कुमार, मालिक, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और इकाई के प्रस्ताव को समझाया।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और सैद्धांतिक रूप से इकाई के आईटीसी (एचएस) कोड के संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय लिया। समिति ने यह आदेश दिया कि एचएस 2022 नामकरण के संबंध में आगे की जांच विकास आयुक्त के अनुमोदन से फाइल पर ली जाएगी।

(7) जयश्री जनरल ट्रेडिंग कंपनी – एलओए (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

7.1 यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने ईमेल दिनांक 05/07/2022 के माध्यम से प्रस्ताव को स्थगित करने का अनुरोध किया। अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया।

(8) जयश्री ज्वैलर्स – एलओए (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

8.1 यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने ईमेल दिनांक 05/07/2022 के माध्यम से प्रस्ताव को स्थगित करने का अनुरोध किया है। अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया।

(9) ग्लोबल डैंट एड्स प्राइवेट लिमिटेड – एलओए (LOA) का नवीनीकरण, अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करना और प्रदर्शन की निगरानी

9.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 31.03.2021 तक प्रदर्शन की निगरानी की और इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) की उपलब्धि को नोट किया। समिति ने इकाई

द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त मदों को शामिल करने के प्रस्ताव को और 31.03.2027 तक इकाई के नवीनीकृत एलओए (LOA) को निर्धारित प्रारूप में इकाई द्वारा विदेशी मुद्रा व्यय के विभाजन को प्रस्तुत करने के अधीन अनुमोदित किया।

(10) आर एसस एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-I) – एलओए (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी

10.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ।

10.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अपने परिचालन के अंतिम ब्लॉक में खराब निर्यात प्रदर्शन पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। समिति ने मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया और निर्देश दिया कि इकाई एचएस 2022 नामकरण में सही 08 अंकों का आईटीसी (ITC) एचएस कोड जमा करे और इस कार्यालय पत्र दिनांक 10.12.2021 के माध्यम से मांगी गई जानकारी प्रदान करे। समिति ने यह आदेश दिया कि इकाई यूएसी (UAC) में अनुपस्थिति के कारण की व्याख्या देगी। समिति ने आगे निर्णय लिया कि इकाई द्वारा पूरी जानकारी प्रस्तुत करने के अधीन मामले को अनुमोदन समिति की अगली बैठक के समक्ष रखा जायेगा ।

(11) सहदेव इंटरनेशनल –एलओए (LOA) का नवीनीकरण, अधिकृत संचालन में संशोधन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि

11.1 श्री शशि सहदेव, मालिक, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उनके प्रस्ताव को समझाया।

11.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और निर्देश दिया कि विकास आयुक्त कार्यालय बैंक के मामले की स्प्ष्टीकरण लें। इसके अलावा, समिति ने विकास आयुक्त को एलओए (LOA) के नवीनीकरण, अधिकृत संचालन में संशोधन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के प्रस्ताव के मामले में फाइल पर निर्णय लेने का प्राधिकार दिया।

(12) श्रीकरम प्रीसाइंस प्राइवेट लिमिटेड – एलओए (LOA) में अतिरिक्त भंडारण सामान शामिल करना

12.1 श्री आर रामनाथन, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और इकाई के प्रस्ताव के बारे में बताया।

12.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और इकाई के अतिरिक्त भंडारण सामान शामिल करने के प्रस्ताव को (बहिष्कृत उत्पादों की सूची को छोड़कर जिसका उल्लेख अगले वाक्य में है) इस शर्त पर अनुमोदित किया कि वह "एचएस 2022 नामकरण में आठ अंकों के आईटीसी (ITC) एचएस कोड की संशोधित सूची प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, समिति ने आईटीसी (ITC) एचएस कोड 2843, 3815 और अध्याय 71, 91 और 95 के तहत उत्पादों को बाहर करने का फैसला किया। इसके अलावा, अतिरिक्त सूची में निर्यात के लिए प्रतिबंधित या प्रतिबंधित उत्पादों की भी अनुमति नहीं होगी।

(13) एक्वा प्लस ग्लोबल - अतिरिक्त वस्तुओं / उत्पादन क्षमता में वृद्धि और प्रदर्शन की निगरानी के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

13.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, विकास आयुक्त एनएसईजेड (DC NSEZ) द्वारा अनुमोदित उत्पादन क्षमता और वस्तुओं के नामकरण में परिवर्तन के संबंध में अनुमति की पुष्टि की। समिति ने अपने परिचालन के अंतिम ब्लॉक यानी 2016-17 से 2020-21 तक इकाई के प्रदर्शन को नोट किया।

(14) श्री नमो अलॉयज - निर्यात के लिए इकाई को दी गई एक बार की अनुमति (One time permission)का अनुसमर्थन

14.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और नियत विचार-विमर्श के बाद, विकास आयुक्त, एनएसईजेड (DC NSEZ) द्वारा दी गई व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात के लिए एक बार की अनुमति (One time permission) की पुष्टि की।

(15) संबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी - प्रदर्शन की निगरानी

15.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 31.03.2021 तक के प्रदर्शन की निगरानी की।

(16) सिनेप्स इंडिया आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड का M/s सिटीक्सिस टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अवैध व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप

16.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, माननीय न्यायालय के निर्णय के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने और स्थिति रिपोर्ट को सूचना के लिए एमओसी (MOC) को भेजने का निर्णय लिया।

(17) रॉयल एक्सपोर्ट्स - एलओए (LOA) नवीनीकरण और M/s ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड से की गई खरीद से संबंधित मामला।

17.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, (i) सादे सोने के आभूषण (71131910) (450 किलोग्राम / वर्ष), (ii) हीरे से जड़े सोने के आभूषण (71111930) (50 किलोग्राम/वर्ष) और (iii) हीरे के जड़े प्लेटिनम आभूषण (71131950)(50 किग्रा/वार्षिक) के निर्माण के लिए इकाई के एलओए (LOA) को 31.12.2022 तक बढ़ा दिया। इसके अलावा, समिति ने मामले में कानूनी राय लेने का निर्देश दिया और विकास आयुक्त को मामले की आगे जांच करने का अधिकार दिया।

(18) ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड – एलओए (LOA) का नवीनीकरण, अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना, उत्पादन क्षमता की समीक्षा और प्रदर्शन की निगरानी - के संबंध में।

18.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया:

I. कार्यसूची नोट में अधिकृत संचालन के क्रमांक 9 में उल्लिखित मद के निर्माण के लिए इकाई के एलओए (LOA) को 31.12.2022 तक बढ़ाया गया जिसके तहत (1) मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर 40 एमएम और सहयोगी सामान (Associated Accessories) (93012000) (1200 टुकड़े / वर्ष) (2) अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (यूबीजीएल) (93012000) (2000 टुकड़े/सालाना); और (3) एमजीएल और यूबीजीएल (90131090) के लिए दृष्टि प्रणाली (3600 टुकड़े/सालाना) का डिजाइन, विकास और निर्माण शामिल है।

ii. अनुज्ञप्ति (License) की आवश्यकता से इन वस्तुओं की छूट के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ कार्यसूची नोट में अधिकृत संचालन के क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 7 में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में इकाई को सहसंबंध प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

iii. कार्यसूची नोट यानी बोर निरीक्षण और सफाई प्रणालियों के लिए उपकरणों के आयात में अधिकृत संचालन के क्रम संख्या 8 पर वस्तुओं को हटाने का निर्णय लिया।

iv. परियोजना प्रभाग, एनएसईजेड (NSEZ) को निर्देश दिया कि वह डीओसी (DOC) को स्मरण-पत्र (Reminder) भेजकर उनसे अनुज्ञप्ति (License) की आवश्यकता के संबंध में उनके विस्तृत स्पष्टीकरण में तेजी लाने का अनुरोध करें, जैसा कि पत्र दिनांक 17.03.2022 के माध्यम से मांगा गया है।

(19) M/s प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड - एलओए - LOA की वैध्यता के नवीनीकरण एवं निदेशकों में बदलाव हेतु प्रस्ताव

19.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पुष्पराज सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि अल्पकालीन (Short) एलओए (LOA) विस्तार दिए जाने के कारण वे कोई गतिविधि करने और अपने व्यवसाय की योजना बनाने में असमर्थ हैं। उन्होंने आगे समिति को सूचित किया कि वे 6-9 महीनों के भीतर एनएसईजेड (NSEZ) में अपना परिचालन शुरू कर देंगे क्योंकि उनका कारखाना लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा हुआ है और उन्हें इसे पुनर्जीवित करने के लिए समय चाहिए।

(20) अजीत एक्सपोर्ट्स – एलओए (LOA) का पुनरुद्धार।

20.1 निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड (NSEZ) ने सूचित किया कि एनएसईजेड (NSEZ) सीमा शुल्क को मामले में माननीय सीईएसटीएटी (CESTAT) द्वारा पारित अंतिम आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए क्षेत्राधिकार के आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा अधिकृत किया गया है। इसलिए, वे जल्द ही अपील के साथ आगे बढ़ेंगे।

20.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया और एनएसईजेड (NSEZ) सीमा शुल्क से रिपोर्ट/टिप्पणियां प्राप्त होने पर मामले की जांच करने का और इकाई के प्रस्ताव पर आगे के विचार-विमर्श/विचार के लिए समिति सामने के रखने का निर्देश दिया ।

(21) परटेक एक्सपोर्ट्स - विदेशी मुद्रा के खिलाफ डीटीए (DTA) बिक्री की अनुमति देने की अनुमति।

21.1 इकाई के प्रतिनिधि के विशिष्ट अनुरोध और अध्यक्ष द्वारा अनुमति प्रदान करने पर अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की। इकाई के प्रतिनिधि श्री विशाल खुल्लर ने अपने प्रस्ताव के बारे में बताया।

21.2 समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को विदेशी मुद्रा के विरुद्ध डीटीए (DTA) बिक्री के लिए एक बार की अनुमति (One time permission) नहीं देने का निर्णय लिया। समिति ने इकाई को दिए गए एलओए (LOA) के अनुसार निर्यात के लिए निर्माण करने की सलाह दी। इसके अलावा, समिति ने इकाई को बकाया पट्टा किराया (Lease rent) देय राशि को तुरंत चुकाने का निर्देश दिया।

21.3 समिति ने परियोजना प्रभाग को यह जांचने का भी निर्देश दिया कि क्या इकाई ने अनुमति के अनुसार डीटीए (DTA) बिक्री को विदेशी मुद्रा में भुगतान किया है या नहीं।

अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई

नितिन

(नितिन गुप्ता)
उप. विकास आयुक्त

अ बिपिन मेनन

(ए बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त